35/12-IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

50

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

(9) उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256958

न्यास पत्र

यह सार्वजनिक न्यास का प्रलेख आज दिनांक 18.12.2012 को अम्बेडकरनगर में 1.राम शिरोमणि वर्मा पुत्र श्री दया राम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश, जो भारत के रहने वाले हैं जिनको यहाँ बाद मे "सेटलर" कहा जायेगा। (इस शब्दो में उनके उत्तराधिकारियों निष्पादको तथा प्रशासको को शामिल माना जायेगा जब तक कि यह शब्द वर्तमान संदर्भ में उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) तथा 2- सुरेश कुमार वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर उ0प्र0 "जिनको यहाँ बाद में अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष कहा जायेगा" एक पक्ष तथा 3- कृष्ण कुमार वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर 4-दया राम वर्मा पुत्र श्री मनिकरन वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर 5-प्रमिला वर्मा पत्नी श्री राम शिरोमणि वर्मा निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उ0प्र0, भारत। जो भारत के रहने वाले है। जिनको यहाँ बाद में "न्यासीगण या इस सन्दर्भ में कुछ समय के लिये बनाये गये न्यासी तथा न्यासीगण के उत्तराधिकारी उत्तराधिकारीगण निष्पादक उसके अर्थ के विरूद्ध न हो) द्वितीय पक्ष जो सेटलर के अनुरोध पर बनने को तैयार हैं।

1. अ- सम्पत्ति-

सेटलर ग्यारह हजार रूपया नगद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य मे दान उपहार क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस सार्वजनिक न्यास में जो सम्पत्ति एक बार निहित हो जावेगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी। ट्रस्टी न तो बेच सकता है और न ही गिरवी रख सकता एवं न ही किराये पर दे सकता है। परन्तु यह नियम सेटलर पर प्रभावी नहीं होगा।

रामशिरोमणि वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256959

ब- सेटलर परोपकारी भावना से उपरोक्त धनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने के इच्छुक है।

स- न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने को सहमत हो गये है।

द- इस लेख के पूर्वाभास के उपरोक्त 11000/- नगद (ग्यारह हजार) रूपया की धनराशि पहले ही इस लेख के निष्पादन के पूर्व ही न्यासीगण को स्थानान्तरित अदा एवं हस्तगत करा दिया गया है।

2. न्यास का नाम- **"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट"** रहेगा। जो कभी भी बदला नही जायेगा।

क- ट्रस्टी का तात्पर्य वर्तमान ट्रस्टीज व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर नामित ट्रस्टीज से होगा एंव किसी ट्रस्टी के मृत्यु पर यदि ट्रस्टी सेटलर की शाखा से हो तो उसका ज्येष्ठ पुत्र और यदि कोई पुरुष सन्तान नहीं है तो उसकी ज्येष्ठ पुत्री। पुत्र या पुत्री तथा उनकी सन्तानों के जीवित न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्रम में सेटलर की शाख के अन्य ट्रस्टी की ज्येष्ठ सन्तान ट्रस्टी नामित हो सकता है। उक्त नियम तभी लागू होगा जब सेटलर द्वारा कोई नामित व्यक्ति (ट्रस्टी) नहीं होगा।

ख- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला व चाहे जिस धर्म जाति व सम्प्रदाय की हो। आवश्यकता पड़ने पर नामित किया जायेगा।

ग- मैनेजिंग ट्रस्टी वह व्यक्ति होगा जो सेटलर की शाखा से ही हो जिसे तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने कार्यकाल में भविष्य के लिए नामित किया गया हो।

3. कमेटी/कमेटीजः- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा इस सार्वजनिक न्यास को चलाने के लिये विभिन्न कमेटियो का गठन किया जायेगा परन्तु उक्त कमेटी का अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नामित ट्रस्टी ही होगा और उक्त न्यास का हेड ही पदेन सचिव रहेगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदेन सचिव को छोड़कर कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल मात्र दो वर्ष होगा परन्तु मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा यह कार्यकाल कभी भी घटाया जा सकता है और इस दिशा में मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256960

4- **पदेन सचिव**:- सार्वजनिक न्यास द्वारा विभिन्न कार्यों को चलाने के लिये जो कमेटीज बनाई जायेगी उसमें न्यास का हेड ही पदेन सचिव होगा जिसको पावर ऑफ सुपरिटेन्डस भी होगा परन्तु न्यास के विरुद्ध कोई निर्णय कमेटी द्वारा नहीं किया जायेगा।

5- **न्यास के पदाधिकारी गण:-** बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विवेक से उपाध्यक्ष व सचिव नियुक्ति करेगा जिसका कार्यकाल मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा घटाया या बढाया जा सकता है। जिसे किसी भी ट्रस्टी द्वारा कहीं व कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

क- **उपाध्यक्ष:-** बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का वह सदस्य जिसे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किया गया हो जो मैनेजिंग ट्रस्टी के अध्यक्ष की न मौजूदगी में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा परन्तु ऐसी विशेष परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय नहीं लिया जायेगा।

ख- **सचिव:-** बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से किसी ट्रस्टी की नियुक्ति बतौर सचिव की जायेगी जिसका कार्य काल व अधिकार समय-समय पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने विवेक से निर्धारित किया जायेगा।

ग- **कोषाध्यक्ष:-** कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ट्रस्टी को ही किया जायेगा व उसके अधिकार व कार्यकाल का निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

घ- **अन्य पदाधिकारी:-** इसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा किया जायेगा जो मुख्यतः बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य होगें। जिसका कार्यक्षेत्र व कार्यकाल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्वेच्छा व विवेक पर होगा।

6- **न्यासीगण का हटाया जाना/अयोग्यता :-**

न्यासीगण को निम्नलिखित कृत्य के पश्चात् अपने पद से मुक्त अथवा अयोग्य समझा जायेगा :-

अ- न्यासी द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की स्थिति में।

ब- वगैर युक्तियुक्त कारण के ट्रस्ट की कार्यवाहियों में लगातार छः महीने तक भाग न लेने की स्थिति में अथवा वगैर युक्तियुक्त कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने की स्थिति में।

रामकृष्ण

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 256961

स- वगैर युक्तियुक्त कारण के न्यास की धनराशि को समय पर न जमा करना अथवा अपने निजी कार्यों के उपयोग में प्रयोग करने की स्थिति में।

द- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल/दीवालिया घोषित होने की स्थिति में।

य- किसी न्यासी द्वारा न्यास के हित एवं मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में।

अधिकार व कर्तव्य

1 मैनेजिंग ट्रस्टी /सेटलरः-

अधिकारः- न्यास (ट्रस्ट) का सम्पूर्ण प्रशासन आदि मैनेजिंग ट्रस्टी में निहित होगा। अपने अधिकारों का प्रयोग करके समय-समय पर उपाध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति कर, उनको अधिकार प्रदान करेगा। इसे यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के फैसले /निर्णय जो न्यास के हित में न हों, को अपने विवेक से अनिश्चित काल तक स्थागित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है।

कर्तव्यः- मैनेजिंग ट्रस्टी का यह कर्तव्य होगा की वह इस बात को सुनिश्चित करें की न्यास (ट्रस्ट) का कार्यकलाप सुचारु रुप से चलता रहे। वह अपने कार्यकाल में ही अपना उताधिकारी नामित करें सकता है या अपने द्वारा नामित व्यक्ति को बदल सकता है या पुनः नामित कर सकता है। इस नामांकन के अधिकार को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

2. उपाध्यक्षः-बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति, जो मैनेजिंग ट्रस्टी के विवेक से व उसके द्वारा निश्चित समय के लिये नियुक्त होगा, का अधिकार होगा कि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256962

अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी की गैर मौजूदगी में बोर्ड की अध्यक्षता करेगा परन्तु नीतिगत निर्णय नहीं लेगा।

3. सचिवः- सचिव का कर्तव्य होगा कि ट्रस्ट के समस्त कामकाज देखें व ट्रस्ट के कागजातों का रख-रखाव करें। ट्रस्ट की बैठक हेतु एजेण्डा बनाकर न्यासीगणों को सूचित करें।

4. कोषाध्यक्षः- वित्त सम्बन्धी समस्त कार्यकलाप कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। बैंक एकान्उट के संचालन में वह सहहस्ताक्षरकर्ता होगा।

5. अन्य पदाधिकारीः- इनका कार्यकाल व कर्तव्य तथा अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। उनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। उनकी संख्या को बोर्ड अपनी स्वेच्छा से घटा बढ़ा सकता है या पद समाप्त कर सकता है।

अब यहाँ न्यास पत्र निम्नलिखित का साक्षी :-

1- उपरोक्त न्यास के न्यासीगण न्यास के लिये उपरोक्त धनराशि न्यास पत्र में आगे लिखी गयी शक्तियो प्राविधानों, संविदा तथा घोषणा के अनुसार धारित करेगें।

2- न्यासीगण एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि वे उपरोक्त धनराशि को धारित करेगें। (सरलता के उद्देश्य से उक्त धनराशि को न्यासकोष यहाँ बाद मे कहा जायेगा) इस शब्द के अर्थ में हर प्रकार की सम्पत्ति तथा किसी प्रकार का निवेश जिसमे की उपरोक्त सम्पत्ति या निवेश या उसका कोई भाग समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यास तथा उससे सम्बन्धित शक्तियों प्राविधानो संविदाओं तथा घोषणाओं जिनका विवरण यहाँ बाद में दिया जा रहा है,के अधीन न्यास द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

3- यह कि न्यास **"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट"** के नाम से जाना जायेगा और इसका कार्यालय ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर उ0प्र0 या समय-समय पर इस न्यास के सार्वजनिक/परोपकारी न्यासकर्तागण द्वारा निर्णीत किये गये स्थान पर होगा। उपर्युक्त न्यास

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AE 256963

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट" उपरोक्त धनराशि का उपयोग सार्वजनिक कल्याण अर्थात जातिवर्ग, लिंग,आदि की भावना से परे शिक्षा,चिकित्सा,सामाजिक उत्थान एंव अन्य उद्दश्यों से जन साधारण हेतु उपलब्ध होगा। इस न्यास मे न्यासीगण लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का व्यवसाय नही करेगें। इस न्यास का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विधि व्यवस्थाओं के मान्य सिद्वान्तों पर होगा।

4- न्यासीगण न्यासकोष की आय, समस्त धनराशि, (जिसमे न्यास की सामग्री में दी जाने वाली सहयोग राशि,उपहार,दान,विज्ञापन द्वारा अर्जित किये धनराशि भी शामिल होगी तथा इस न्यासकोष का हिस्सा होगी) को धारित करेगें। न्यासकोष की आय एवं लाभ में सें सर्वप्रथम न्यास के प्रबंधन प्रशासन एवं निष्पादन में होने वाले खर्च में भुगतान किया जायेगा।

5- ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नही है। न्यासकोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा।

<u>अ- शैक्षिक सहायता-</u>

बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमन्द छात्र-छात्राओ को निम्नलिखित माध्यम से शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना :-

क:- इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसमें पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज फर्मेसी, खेल तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना।

ख:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ करना।

ग:- विधि महाविद्यालय खोलना तथा उसका प्रबन्धन करना।

घ:- एलोपैथिक मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पैरामेडिकल संस्थान, डेंटल कालेज की स्थापना करना तथा उनके संचालन के अभिमानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256964

ड:- कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पशु चित्किसा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय,तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय,की संस्थापना एवं संचालित करना, सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापो को बढ़ावा देना।

च:- वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविरो का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानो एवं शिविरो को समर्थन देना।

छ:- न्यास के उद्देश्यो के अनुसार बिना लाभ अर्जित किये हुये छात्रावासों प्रेक्षागृहो, जिमनेजियम, आडीटोरियम, तथा स्टेडियम व म्यूजियम का निर्माण करना।

ज:- शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनो का आयोजन करना, उसकी सहायता एवं उत्साहवर्धन करना।

झ:- छात्र-छात्राओ हेतु अंग्रेज़ी व हिन्दी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना।

ट:- जाति, धर्म समुदाय, वर्ग या लिंग, का भेद किये बिना निर्धन जरूरतमंद एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

ठ:- योग्य एवं जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति, अनुदान सहायता तथा पुरस्कार देना, न्यास द्वारा भू0पू सैनिको के आश्रितो उनकी विधवाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एवं राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय व राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत व्यक्तियो को अनुदान देना।

ड:- शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यो से स्थापित संस्थानो को नगद भुगतान देना एवं पुस्तकीय व शैक्षणिक सामग्री या अन्य किसी रूप में दान, उपहार देना।

ढ:- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भूमि अधिग्रहित करना, इमारत बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यो हेतु कोष एकत्रित करना।

ण:- अच्छे विचारों व साहित्यों को पैम्पलेट, बुकलेट तथा पुस्तको आदि के प्रशासन द्वारा या संगोष्ठियों, सभाओं कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रसारित करना।

प:- विकलॉग बच्चों हेतु अन्ध विद्यालय, मूकबधिर विद्यालय, तथा विकलॉग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256965

फः- निजी क्षेत्र का डीम्ड विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन।

बः- कृषि स्नातक बेरोजगार के लिए एग्रीक्लीनिक एवं एग्रीविजनेस प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालित करना।

ब- चिकित्सीय सहायताः-

निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगो को चिकित्सीय सहायता देना विषेश रूप से-

अः- खैराती चिकित्सालयों, नर्सिग होम तथा मैटरनिटीहोम, ऑख अस्पातल,आदि को प्रारम्भ करना।

सः- निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगो को पूर्णतया निःशुल्क अथवा आधे शुल्क पर चिकित्सा सुविधा देना।

दः- निर्धन एवं जरूरतमन्द लोगो को न्यास द्वारा संचालित किसी चिकित्सालय से सहायता देना या अन्य किसी विद्यालय मे भर्ती होने पर सहायता देना।

यः- किसी भी चिकित्सालय को या चिकित्सालय संस्थान को आपरेशन सामग्री एवं बेड आदि की सहायता देना।

रः- औषधि के क्षेत्र मे शोध कार्य हेतु किसी व्यक्ति या चिकित्सा संस्थान या चिकित्सालयों, समितियों को सहायता देना या दान देना।

लः- ऐसे सभी कार्यो को करना जिसमे निर्धनो की चिकित्सा होती हो।

वः- भूमि व भवन खरीद कर हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, डिस्पेंसरी नर्सिगहोम, मेटरनिटीहोम की स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु संग्रह करना।

सः- निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सहायता शिविर, एड्स जागरूकता शिविर, विकलॉग शिविर, मद्यपान निषेध शिविर का आयोजन करना।

स- सामान्य उद्देश्यः-

1:- मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगो को विकास एवं उन्नयन तथा उनके स्वतंत्र जीवन एवं व्यवसाय हेतु सहायता करना।

2:- बाढ़ ग्रस्त तथा प्राकृतिक आपदा तथा अन्य विपत्तियों मे परेशान लोगो को राहत पहुँचाना।

रामशंकर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256966

3:- निर्धन विधवाओ के लिये संस्थानों या कोष की स्थापना।

4:- बेरोजगार व्यक्तियों तथा वृद्धजनो के लिये आवासों की स्थापना एवं रखरखाव निःशुल्क या उनके रहने के लिये शुल्क में छूट कुछ शर्तो पर देकर (एक निश्चित अवधि के लिये देकर) करना जिसमे शर्तो व अवधि का निर्धारण न्यासीगण जैसा उचित समझेंगें करेगें।

5:- जल की कमी वाले क्षेत्रो में जहाँ कहीं भी हो वहॅ पर कुआँ खुदवाना तथा पेयजल की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराना।

6:- भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों, संगठनों से नकद धन तथा नगद दान उपहार तथा चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्तियो का अधिकार उन शर्तो पर प्राप्त करना जो कि न्यासीगण न्यास के उद्देश्य हेतु उचित समझते हों।

7:- न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।

8:- न्यासीगण की अनुमति से न्यास के सभी या किसी सम्पत्ति के अधिकार तथा हित को युक्तियुक्त कारणों से बेचना, सुधारना, प्रबन्ध करना, विकसित करना, अदला-बदली करना, लीज पर देना, मारगेज करना तथा न्यास के किसी खाता को निस्तारित कर देना।

9:- यहाँ बाद मे दिये गये उद्देश्यों गतिविधियों तथा कार्यो को संचालित करने वाले किसी न्यास संस्थान या लोगो के संगठन को सहायता देना।

10:- अन्य विधिक कार्यो गतिविधियों तथा लेखपत्रो जिसे न्यासीगण उचित समझते हो से सामान्य रूप से निष्पादित करना।

11:- उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु सामान्य उद्देश्यो वाले किसी अन्य न्यास या संस्थान को न्यास में शामिल करना या उनका सहयोग करना या उनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर प्रबन्ध न्यासी की सहमति से कार्य करना जैसा कि कानून द्वारा अनुमन्य हो।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256967

12:- ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उठाने, भौतिक समृद्धि प्रदान करने, सामाजिक न्याय एवं समानता दिलाने तथा उनके बौद्विक शारीरिक एवं सामाजिक पक्षों को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संचालित करना।

13:- सामुदायिक विवाह की रस्मो को पूर्ण करवाने मे सहायता देना तथा सामूहिक विवाह का आयोजन व प्रोत्साहित करना।

14- न्यासीगण द्वारा तय किये गये कार्यों को करना जो जन- सामान्य के लिये लाभदायक हो।

उपर्युक्त के अलावा एतृदद्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी या उसमें समय-समय पर किया गया_संशोधन पुर्नअधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान- दाताओं को आयकर से अलग रक्खा जायेगा या छूट मिलेगी ।

2

किसी वर्ष या वर्षों में उपर्युक्त आय का उपभोग करने के पश्चात् यदि कोई भाग शेष बचता है तो उसे निवेश कर दिया जायेगा और उससे समय-समय पर प्राप्त आय को ऐसे निवेश में लगाया जायेगा जिसमें एतद्द्वारा न्यास कोष को निवेषित करने हेतु निर्देशित एंव अधिकृत किया गया है और न्यासीगण को उसे उसी तरीके एंव उसी सीमा तक खर्च करने का और उपयोग करने का अधिकार होगा,मानो इस प्रकार का संचय या उसका भाग वर्ष या वर्षों की आय का हिस्सा था जिसमें कि उसको ऊपर कहे गये अनुसार खर्च एंव उपयोग किया गया ।

ऊपर तय किये गये लक्ष्य एंव उद्देश्यों को वहन करने में न्यासीगण के लिए यह वैध होगा कि वे स्वतंत्रतापूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने बुद्धि विवेक से उन नियमों व शर्तों पर जिसे वे उचित, समझते हों किसी न्यास,न्यासों,संस्थानों पंचायत स्थानीय परिषद या नगरपालिका की सामग्री या कोष में दान दे

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 256968

तथा न्यास या न्यासों के साथ सहयोग करते हुये कार्य करें व खर्चों में सहभागी बनें या नये न्यासों को धन दें किन्तु हमेशा इस शर्त पर कि लाभ किसी विशेष समुदाय,धर्म जाति या लिंग तक सीमित न हो।

7- **आगे न्यास की गतिविधियों को उपरोक्त उद्देश्यों एंव लक्ष्यों की प्राप्ति में सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से न्यास को सेटलर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगा :-**

1- अनुदान,दान उपहार,धन की वसीयत तथा सभी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति को बिना किसी शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो कि न्यास के लक्ष्य एंव उद्देश्यों के विपरीत न हो को मांगना, क्रय विक्रय करना या स्वीकार करना ।

2- न्यास से सम्बन्धित या उसके नियंत्रण की किसी सम्पत्ति एवं सम्पत्तियों को बेचनें देना,आदान प्रदान करना,बंन्धक रखना, चार्ज करना,पट्टे पर देना, जमानत पर बदलना,निस्तारित कर देना या अन्य प्रकार से डील करना।

3- समय-समय पर बैंक वित्तीय संस्थानों या सगंठनों आदि से न्यास के किसी उद्देश्यों हेतु सेक्योरिटी या सेक्योरिटी के बिना न्यास के वर्तमान या भविष्य के असेट्स-विल्डिग,मशीने भूमि व सामानों का बन्धक चार्ज क्रियेट करके या हायपोथिलेट करके या इन सबके बिना धन इकट्ठा करना या ऋण लेना तथा ऋणदाताओं को विक्रय का अधिकार या अन्य अधिकार देना जैसा कि उचित हो तथा इस प्रकार कि सेक्योरिटीज को खरीदना या उन्हें छुड़ाना।

4- न्यास के किसी धन को जिसका न्यास के किसी उद्देश्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता न हो तो न्यास के संविधान में प्रदत्त तरीके से निवेशित करना तथा डील करना जैसा कि समय-समय पर तय किया जा सकता है।

2/11/2016

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 256969

5- **न्यास के लक्ष्य एंव उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होगें :-**

क- विधालयों कालेजों तथा ऐसे संस्थानों जो विकलांग बच्चों को सहायता देते हों उनके विधार्थियों को ऋण देना,निःशुल्क पुस्तकें देना पुरस्कार देना, आर्थिक सहायता देना तथा आर्थिक रूप से हानि में रहने वाले समूहों को उपर्युक्त प्रकार की सहायता देना।

ख- न्यास कोषों या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे सम्बन्धित प्रबन्धन व प्रशासन में होने वाले खर्चे को देना जिसमें सभी प्रकार के किराये,कर तथा कर्मचारियों का वेतन,इंजीनियरों का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों का भुगतान करना जो शैक्षिक निर्देशन एंव सहायता देती हों।

ग- शिक्षकों पेशेवर लोगों तथा अन्य की सेवाओं को नगद पारिश्रमिक या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक या सभार प्राप्त करना।

घ- उपर्युक्त, उद्देश्य हेतु ऐसे लेख पत्र पर हस्ताक्षर करना,निष्पादित करना तथा वादा करना जैसा कि आवश्यक हो।

ड- न्यास के उद्देश्य की तरक्की हेतु वांछित समझी जाने वाली पुस्तकें, पैम्पलेट व पोस्टरों को छपवाना प्रकाशित करवाना तथा प्रदर्शनी लगवाना।

च- ऐसे सभी विधिक कार्यों को करना,लेखपत्र लिखना जो कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रेरक एंव प्रासंगिक हो।

8- ऐसे किसी न्यास समिति,संस्थान या संस्था के साथ मिश्रित हो जाना जिसका लक्ष्य पूर्णतः या अंशतः उपर्युक्त न्यास के लक्ष्य के सामान हो।

9- कोई भी चीज जो ऊपर कही गयी है या यहां बाद में कही गयी है इसके बावजूद न्यास कोष की आय इस प्रकार की सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु खर्च किया जायेगा,जो कि आयकर अधिनियम 1961 या अन्य कोई अधिनियम जो सार्वजनिक कल्याण के न्यासों की आय से सम्बन्धित हो, द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम शर्तों एवं सीमाओं के अधीन होगा।

10- राम शिरोमणि वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा सेटलर जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं को ही न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने-देख रेख करने-संचालित करने का अधिकार होगा जैसा कि वे ही समय-समय पर

रामशिरोमणि वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256970

न्यास कोष से सम्बद्ध करेगें एवं किसी भाग या उसकी आय को फिक्स्ड डिपाजिट करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेगें जिसका संचालन राम शिरोमणि वर्मा कर सकते हैं फिर भी यदि किन्हीं पारिस्थितियों में उपर्युक्त न्यासी उपलब्ध नहीं है तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि मे श्री सुरेश कुमार वर्मा जो ट्रस्ट की अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष हैं, द्वारा संचालित किया जा सकता है। तथा राम शिरोमणि वर्मा एंव सुरेश कुमार वर्मा दोनों की अनुपस्थिति में **"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट"** के प्रशासन प्रबन्धन एंव कोष संचालन की जिम्मेदारी इनके वंशजो की होगी। जिन्हें इन दोनों के पश्चात् तत्कालीन मैनेजिंग ट्रस्टी (सेटलर) द्वारा अपने जीवनकाल में ही नामित कर दिया जावेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सेटलर की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में सेटलर का ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री क्रमशः बिना नामित किये ही स्वतः न्यास के सेटलर हो जायेगें तथा सेटलर के सम्पूर्ण अधिकारों व कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करेगें।

11- उपर्युक्त प्राविधानों के अधीन विधिनुसार न्यासीगण न्यास कोष तथा अपने पास के धन को किसी सेक्योरिटी या सेक्योरिटीज़ में निवेशित करने (यदि वांछित हो) या अपने विवेकानुसार किसी निवेश या सेक्योरिटी को बदलने का अधिकार होगा।

1- न्यास कोष से सम्बद्ध या अधिग्रहीत किसी अचल सम्पत्ति को गिराने, पुनर्निर्माण कराने,परिवर्तन करने सुधारने,विकसित करने या मरम्मत करने जैसा कि न्यासीगण उचित समझते हों इसका उन्हें विधिक अधिकार होगा।

2- प्रबन्ध न्यासीगण को अन्य सम्पत्तियों के स्वामियों के साथ संविदा करने या उन सम्पत्तियों के स्वामियों या हितबद्व व्यक्तियों के लाभ हेतु जैसा कि समय-समय पर प्रबन्ध न्यासीगण उचित समझते हों जिसका कि उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार होगा, लेखपत्र लिखने का भी अधिकार होगा।

3- न्यासीगण को किसी सम्बद्ध/अधिग्रहीत सम्पत्ति को आग लग जाने या अन्य प्राकृतिक विभीषिका से बचने हेतु तथा अन्य खतरों एंव नुकसानों जिसको न्यासीगण उचित समझते हो,समय-समय पर बीमा कराने का अधिकार होगा लेकिन उन न्यासीगण या किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को जो कि बीमा होने से छूट गई है को नुकसान पहुचाने पर किसी भी प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी।

रामशिरोमणि वर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256971

4- अचल सम्पत्ति की आय एंव लाभ में से सभी किरायों,मूल्यों,करों तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे हुये धन को जैसा कि न्यासीगण उचित समझे भारी मरम्मत कराने में उपयोग करने या निवेश करने और उसकी आय को भारी मरम्मत कराने या पुनर्निर्माण कराने या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नव निर्माण कराने इस बीच में इन व्यक्तियों द्वारा अधिकृत प्रतिभूतियों में उस बचे हुए धन को निवेश करने का अधिकार न्यासीगण को होगा।

12- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यास कोष को किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को कब्जे में लेने या उपयोग करने की अनुमति करने का भी न्यासीगण का अधिकार विधिक होगा।

13- न्यासीगण न्यास से सम्बन्धित सभी कार्य सम्पादन का नियमित लेखा-जोखा रजिस्टर,विधिअनुसार बनाये रखेगें।

14- न्यासीगण समय-समय पर उन नियमों व शर्तों पर जैसा कि उन्हें समीचीन लगता हो एक या अधिक पर्यवेक्षकों शिक्षकों,लिपिकों तथा दूसरें कर्मचारियों व नौकरों की नियुक्ति करके उनका पारिश्रमिक तय कर सकता है।

15- न्यास के लक्ष्यों के निर्वहन के उद्देश्यों से न्यासीगण को उनके द्वारा किये गये वास्तविक खर्चो का पुर्नभुगतान करने का अधिकार होगा। यह स्पष्ट करा दिया जाता है कि कोई भी न्यासी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

16- राम शिरोमणि वर्मा, सुरेश कुमार वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, दयाराम वर्मा, श्रीमती प्रमिला वर्मा अपने जीवनकाल तक स्थायी न्यासी होगें,उपरोक्त स्थाई न्यॉसी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में राम शिरोमणि वर्मा एवं सुरेश कुमार वर्मा के संयुक्त परामर्श से ही स्थायी न्यासी बनाये जा सकेगें। इन दोनो के न रहने पर सेटलर द्वारा नामित वंशजों के परामर्श से स्थायी न्यासी बनाये जा सकेगें तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राम शिरोमणि वर्मा एवं सुरेश कुमार वर्मा के विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः सेटलर एवं स्थायी न्यासी होगें।

17- कृष्ण कुमार वर्मा, दयाराम वर्मा, श्रीमती प्रमिला वर्मा ,हमेशा न्यासीगण की परिषद के क्रमशः अध्यक्ष/सभापति, होगें तथा न्यास की मीटिंग का सभापतित्व करेगें। यदि न्यास की किसी ,मीटिंग में

रामशिरोमणि

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256972

उपरोक्त स्थायी न्यासीगण किसी कारण से उपस्थित नहीं हैं तो उस विशेष मीटिंग के लिए अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार उपस्थित न्यासीगण को होगा। इस न्यास का सचिव तथा इस न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का प्रबन्धक/एम0डी0 सेटलर स्वयं होगा तथा सेटलर को यह अधिकार होगा कि यदि न्यास/संस्था के मूलभूत सिद्धान्तों से इतर कोई भी सदस्य अनैतिक कृत्य करता है तो तत्काल प्रभाव से न्यासी मण्डल की सदस्यता (न्यासी) से निष्कासित कर देगा।

18- न्यासीगण की प्रत्येक मीटिंग की कार्यवाही का सांराश उस उद्देश्य हेतु रखी गई सांराश पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज एंव हस्ताक्षरित हो जायेगी तब वहां पर किये गये या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी।

19- न्यासीगण की न्यूनतम संख्या सेटलर सहित सात होगी। स्थायी न्यासीगण के कुछ समय के लिये न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा की वे आवश्यक मानते हों करने का अधिकार होगा, किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या बारह से अधिक नहीं होगी। किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर या किन्ही कारणों वश किसी न्यासी के न्यास से त्याग पत्र देने की स्थित में स्थायी न्यासीगण (सेटलर) को इस प्रकार से मृत या त्याग पत्र देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासीगण की नियुक्ति का अधिकार होगा।

20- भारतीय न्यास अधिनियम से सुसंगत प्रावधानों के अधीन न्यासीगण अपने निर्वाध्य विवेकानुसार इस प्रकार के नियमो एवं शर्तो जिसे वे उपयुक्त व आवश्यक मानते हो इस लेख पत्र के न्यास की सम्पत्ति या उसके किसी भाग को किसी समान या सम्बन्धित लक्ष्य वाले न्यास या संस्थान से जोड़ सकता है।

21- किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति देने या न्यास के प्रशासन मे या अधिकारों (शक्ति) के बारे मे या न्यास के किसी खण्ड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्राय के सम्बन्ध मे न्यासीगण मे

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256973

भिन्नता होने पर उसको न्यासीगण के बहुमत का निर्णय अन्तिम एंव निर्णायक होगा.। मत बराबर की स्थिति में सेटलर का निर्णय अन्तिम होगा।

22- समय-समय पर न्यास के लक्ष्यों उद्देश्यों प्रशासन, प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में न्यासीगण को-आडिटर आर्किटेक्ट सर्वेयर एकाउन्टेन्ट बैल्यूयर,सालीसिटर,एडवोकेट,चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मैनेजर तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा कि न्यासीगण समय-समय पर अपने निर्वाध्य विवेक से उपयुक्त समझे, भुगतान करने का अधिकार होगा।

23- प्रबन्ध न्यासीगण में से किसी एक से न्यायालय,ट्रिव्यूनल,प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।

24- इस न्यास से सम्बधिन्त सभी प्रसंगों का न्यास क्षेत्र अम्बेडकरनगर उ0प्र0 होगा।

25- न्यासीगण न्यास के एकाउन्ट का आडिट करायेगें तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों या उसमें हुए संशोधनों का पालन करेंगें।

26- न्यास के समस्त सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गयी है। इस न्यास विलेख में कुल रू0 870/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। ट्रस्ट का लेखन एवं निष्पादन अम्बेडकरनगर।

सेटलर-

राम शिरोमणि वर्मा

निवासी ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 256974

"माँ शान्ति ऐजुकेशनल ट्रस्ट" ट्रस्ट के स्थायी न्यासीगण

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	राम शिरोमणि वर्मा	श्री दयाराम वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
2.	सुरेश कुमार वर्मा	श्री दयाराम वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
3.	कृष्ण कुमार वर्मा	श्री दयाराम वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
4.	दयाराम वर्मा	श्री मनिकरन वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि
5.	श्रीमती प्रमिला वर्मा	राम शिरोमणि वर्मा	ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर	कृषि

रामशिरोमणि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AA 395547

दिनांक- 18.12.2012

गवाह - 1. राकेश कुमार वर्मा पुत्र दलसिंगार वर्मा राकेश कुमार वर्मा
निवासी - कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर

2. तेज प्रताप शर्मा पुत्र राम कीरत शर्मा तेजप्रताप शर्मा
निवासी भुवनपुर पो0 लोदीपुर,अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

न्यास पत्र तैयार कर्ता

श्री राम शिरोमणि वर्मा, ग्राम लखैचनपुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश

टाइपकर्ता - कुल भूषण वर्मा, यूनिर्वसल बुक्स, गाँधी आश्रम भवन, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

रामशिरोमणि वर्मा

हस्ताक्षर

राम शिरोमणि वर्मा
सेटलर
निवासी ग्राम लखैचन पुर पो0 चमुर्खा परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर
अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 भारत।